निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 660) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–15/2010/856—सिमरिया गोरगामा बायॉ तटबंध एवं चन्दन नदी के दायें तटबंध, ब्रीच क्लोजर कार्य में अनियमितता के संबंध में निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7973 दिनांक 11.11.2010 द्वारा समर्पित तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी के लिए श्री राजेश कुमार, आई0 डी0–3472, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप इनसे विभागीय पत्रांक 233 दिनांक 01.03.2011 द्वारा स्पष्टीकरण किया गयाः–

(i) सिमरिया गोरगामा बायॉ तटबंध के चेन संख्या– 0 से 26.06 कि0 मी0 तक का कार्य सिस्टमेटिक ढंग से कन्टीन्यूटी में नहीं कराना।

(ii) चन्दन नदी के दायॉ तटबंध के चेन संख्या–1549 से 1587 तक के बीच मोहनपुर गॉव के नजदीक ब्रीच क्लोजर कार्य के लिए भुगतान की गयी मिट्टी की मात्रा में 36.63 प्रतिशत की कमी पाया जाना।

(iii) चन्दन नदी के दायॉ तटबंध के 1680 चेन पर अवस्थित आउटलेट का आंशिक कार्य कराकर प्राक्कलन के प्रावधानुसार मापीपुस्त में पूर्ण भुगतान कराना एवं सही विशिष्टि तथा व्यास का ह्यूम पाईप नहीं लगाना। उक्त आउटलेट के प्लास्टर कार्य में सिमेन्ट की मात्रा में कमी पाया जाना।

2. श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर द्वारा उपर्युक्त के आलोक में वांछित स्पष्टीकरण का उत्तर विभाग में समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा निम्नांकित तथ्यों को रखा गयाः–

(i) पुनर्स्थापन कार्य में काफी मात्रा में आस–पास से ही मिट्टी लाकर करना था। प्रारम्भ में आसानी से उपलब्ध मिट्टी से संवेदक द्वारा कार्य कराया गया। फसल लगे खेतों से मिट्टी लेने में किसानों के विरोध के कारण विलम्ब हुआ। साथ ही कंट्री साईड में गॉव बसे होने तथा अतिक्रमण के कारण भी बीच में कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। इनके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में भी कंट्री साईड में गॉव बसे होने तथा अतिक्रमण का उल्लेख है। तात्पर्य यह है कि सुगमता से मिट्टी प्राप्त होने वाले भाग में प्राथमिकता देते हुए कार्य कराया गया एवं उक्त अवरोध वाले भाग में विलम्ब से कार्य प्रारम्भ हुआ। अतएव सिस्टमैटिक ढ़ंग से कन्टीन्यूटी में कार्य नहीं कराने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(ii) दिनांक 05.06.2008 को इनके द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट होगा कि अभियंताओं की उपस्थिति में विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने का निदेश कार्यपालक

अभियंता को दिया गया। साथ ही कनीय अभियंता को कार्य स्थल पर नहीं पाये जाने पर उनका वेतन भी रोक गया था।

जॉच प्रतिवेदन के कंडिका 4.2.02 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि गलत भुगतान के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार होते है न कि अधीक्षण अभियन्ता। इस प्रकार का आरोप अप्रासंगिक है जो प्रमाणित नहीं होते है।

(iii) जॉच प्रतिवेदन के कंडिका–6.0.2 के अनुसार आंशिक रूप से कार्य कराकर पूर्ण भुगतान करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता को उत्तरदायी माना जा सकता है।

दिनांक 05.06.2008 को किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार तटबंध में पूर्व से स्थित आउटलेट मरम्मति का कार्य 15 दिनों के अन्दर पूर्ण विशिष्टि एवं सुगमता के अनुरूप पूरा करा लिये जाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। इस प्रकार अधीक्षण अभियंता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। अतः स्पष्ट है कि उनके उपर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है।

3. उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः–

(i) आरोपित कार्यपालक अभियंता द्वारा माना गया है कि वर्षा इत्यादि के कारण मिट्टी में कमी आयी होगी परन्तु तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा 20 प्रतिशत की कमी को मान्य करने के उपरान्त भी इस मद में 16.63 प्रतिशत का अतिरेक भुगतान प्रमाणित है।

(ii) आउटलेट के संबंध में भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा मरम्मति की बात स्वीकार की है और अंकित किया गया है कि विशिष्टि के अनुरूप कार्य कराकर उसका भुगतान किया गया है। परन्तु सीमेंट की जॉच से स्पष्ट है कि सीमेंट की मात्रा में 39.76 प्रतिशत कमी पायी गयी है जो विशिष्टि के अनुरूप नहीं कही जा सकती है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य का अपेक्षित निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया है जिसके लिए ये दोषी पाये गये है।

4. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर सम्प्रति अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्व '' एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर सम्प्रति अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्व ''एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 660-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in